निवन्धन सं० पी० टी०—४०

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

१ श्रावण १८९६ (श०)

सं० पटना ७५४)   पटना, मंगलवार, २३ जुलाई १९७४

विधि विभाग

अधिसूचना

२४ जुलाई १९७४

सं० एल०जी०४-४५/७२-लेज---८३२---बिहार विधान-मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर राष्ट्रपति २३ जुलाई, १९७४ को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

(बिहार अधिनियम १६,१९७४)

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, १९७४

औद्योगिक क्षेत्रों के सुनियोजित विकास और उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने के लिये अधिनियम।

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय १।

१। संक्षिप्त नाम और विस्तार।—(१) यह अधिनियम बिहार-औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, १९७४ कहा जा सकेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगा।

२। परिभाषाएं।—जबतक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) सुख-सुविधा के अन्तर्गत सड़क, जल-आपूर्ति, बाजार-सड़कों पर प्रकाश, जल-निकास, मल-प्रणाल, विद्यालय, आवास, अस्पताल और मनोरंजन की सुविधाएं तथा अन्य ऐसी सहूलियतें और सुविधायें हैं, जिन्हें राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुख-सुविधा विनिर्दिष्ट करे।

(ख) भवन के अन्तर्गत, कोई ऐसी संरचना या परिनिर्माण अथवा संरचना या परिनिर्माण का कोई ऐसा भाग है जो आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक या अन्य प्रयोजनों में उपयोग के लिये आशयित हो चाहे वस्तुतः उसका उपयोग होता हो या नहीं;

(ग) व्याकारणिक रूपभेदों सहित "विकास" से अभिप्रेत है, भूमि के अन्दर, भूमि पर, भूमि से ऊपर या उसके नीचे, निर्माण या इंजीनियरिंग संबंधी अथवा अन्य कोई कार्य निष्पादित करना या किसी भवन या भूमि में कोई तात्विक परिवर्त्तन करना, जिसके अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनों अथवा अन्य कार्यकलापों के लिए स्थान सहित या रहित और लोक-निर्माण, मनोरंजन, सुख-सुविधाओं तथा उद्योगों की स्थापना के लिए अन्य मूल अपेक्षाओं की समुचित

सुविधाओं के साथ औद्योगिक कार्यकलाप चलाने के लिये स्थान का उपबंध करना है और इसके अन्तर्गत पुनर्विकास भी है ;

(घ) उद्योग शब्द का वही अर्थ होगा जो अर्थ बिहार उद्योग राज्य सहाय्य अधिनियम, १९५६ की धारा २ के खंड (३) में उसके लिए दिया गया है ;

(ङ) विकास-क्षेत्र से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया कोई क्षेत्र ;

(च) औद्योगिक क्षेत्र से अभिप्रेत है ऐसा कोई क्षेत्र, जिसके लिए धारा ३ के अधीन प्राधिकार गठित किया गया हो ;

(छ) विनियम से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन गठित प्राधिकार द्वारा, इस अधिनियम के अधीन, बनाया गया विनियम ;

(ज) नियम से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नियम ; और

(झ) विहित से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में विहित ।

अध्याय २

३। औद्योगिक क्षेत्र विकास-प्राधिकार—लक्ष्य और उद्देश्य।—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद किसी भी समय, अधिसूचना द्वारा, उद्योग के विकास और उसे बढ़ावा देने के निमित्त, किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों के लिए एक प्राधिकार गठित कर सकेगी (इस अधिनियम में इसके आगे प्राधिकार के रूप में निर्दिष्ट)।

स्पष्टीकरण—राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन, इस राज्य के एक या अधिक क्षेत्रों के लिए एक प्राधिकार या एक से अधिक प्राधिकार स्थापित कर सकेगी। ऐसा प्राधिकार "(क्षेत्र का नाम) औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार" के नाम से ज्ञात होगा।

(२) प्राधिकार पूर्वोक्त नाम से एक निगम निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुहर होगी तथा उसे चल और अचल दोनों सम्पत्तियों का अर्जन, धारण और उनका निपटारा करने तथा ठेका करने की शक्ति होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा और उसपर वाद चलाया जा सकेगा।

(३) (i) ऐसे किसी प्राधिकार में एक अध्यक्ष, एक प्रबन्ध निदेशक तथा पांच अन्य निदेशक होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और जो राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त इस निमित्त विहित निबन्धनों और शर्तों पर अपना पद धारण करेंगे।

(ii) प्राधिकार के अध्यक्ष आयुक्त से अन्यून पंक्ति के सरकारी सेवक या सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य व्यक्ति होंगे ।

(iii) राज्य सरकार, यदि ऐसा समीचीन हो तो, एक ही व्यक्ति को प्राधिकार के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(४) प्रबन्ध निदेशक प्राधिकार का पूर्णकालिक पदाधिकारी एवं मुख्य कार्यपालक होगा तथा अध्यक्ष के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा :—

(क) वह प्राधिकार की ओर से सभी धन प्राप्त करेगा तथा उसके लिए रसीद देगा और उसका समुचित लेखा रखेगा ;

(ख) वह प्राधिकार की निधि से वेतन और भत्तों के भुगतान तथा प्राधिकार के खर्चों को पूरा करने के लिए धन निकालेगा ;

(ग) वह प्राधिकार के किसी आदेश को अभिप्रमाणित करेगा ;

(घ) वह किसी भी अन्य ऐसे कर्त्तव्य का पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए ।

४ । किसी क्षेत्र का विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना ।—(१) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली में विहित रीति से उठायी जानेवाली किसी आपत्ति पर विचार करने के बाद इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी औद्योगिक क्षेत्र के निकटवर्त्ती किसी क्षेत्र को विकास-क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी :

परन्तु बिहार भूमि उपभोग निबंधन अधिनियम, १९४८ की धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन पहले ही नियंत्रित क्षेत्र घोषित किये गए किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में आपत्ति आमंत्रित करना आवश्यक नहीं है ।

(२) इस अधिनियम की धारा ४ की उप-धारा (१) के अधीन किसी क्षेत्र के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किए जाने के बाद, कोई भी व्यक्ति या कम्पनी या व्यापारिक घराना या कोई निकाय (राज्य सरकार के किसी विभाग सहित) विहित नियमावली में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, ऐसे विकास-क्षेत्र के अन्तर्गत किसी संरचना या भवन के निर्माण, परिवर्त्तन अथवा उसे ढाने का काम न हाथ में लेगा या न कार्यान्वित करेगा ।

(३) जबतक नियमावली में अन्यथा अनुबद्ध न हो तबतक किसी पहुंच साधन का निर्माण करने, खोदने या उसका खाका तैयार करने की अनुज्ञा के लिए

आवेदन करने और ऐसी अनुज्ञा देने या न देने की प्रक्रिया इस निमित्त बिहार भूमि-उपयोग निबन्धन अधिनियम, १९४८ के उपबंधों के अनुसार ही होगी।

५। स्थापना।—प्राधिकार की अपनी स्थापना होगी, जिसके लिए वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, विनियम बनाएगा।

अध्याय ३

प्राधिकार की शक्तियां और कर्त्तव्य

६। प्राधिकार की सामान्य शक्तियां और कर्त्तव्य।—(१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, प्राधिकार, औद्योगिक क्षेत्र के सुनियोजित विकास (इस क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने सहित) और उस क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने और उससे आनुषंगिक सुख-सुविधाओं के लिए उत्तरदायी होगा।

(२) प्राधिकार औद्योगिक क्षेत्र तथा उसकी सुख-सुविधाओं के आयोजन, विकास और अनुरक्षण तथा भूमि के आवंटन पट्टा-निष्पादन और ऐसा आवंटन पट्टा रद्द करने तथा फीस, लगान, प्रभार वसूल करने और उससे संबंधित बातें के लिए उत्तरदायी होगा।

(३) राज्य सरकार समय-समय पर, प्राधिकार को कोई ऐसा अन्य कार्य सौंप सकेगी जो औद्योगिक क्षेत्र और उसकी सुख-सुविधाओं के योजनाबद्ध विकास या अनुरक्षण तथा उससे संबंधित बातों से संबद्ध हो।

(४) प्राधिकार को विकास-क्षेत्र की सड़कों, मकान की नालियों, भूमि और प्राधिकार की सम्पत्ति पर हुए अधिक्रमण को हटाने के प्रयोजनार्थ बिहार-उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, १९२२ की धारा १९६, १९७, १९८, १९९, २००, २०१ और २०२ में यथा विनिर्दिष्ट नगरपालिका के कमिश्नरों की शक्तियां होंगी।

(५) राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, आवास और विद्यालय जैसी नागरिक सुख-सुविधाओं के आयोजन, विकास और अनुरक्षण, अधिक्रमण हटाने, आदि के लिए, प्राधिकार या अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक में अन्य अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियां निहित कर सकेगी जिनका इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकार या कानूनी निकाय अथवा राज्य एजेन्सी प्रयोग कर सकती हो।

(६) यदि प्राधिकार की राय में, उसके द्वारा किसी विकास-क्षेत्र में निष्पादित विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप, विकास से लाभान्वित क्षेत्र की किसी सम्पत्ति का मूल्य बढ़ गया हो, तो प्राधिकार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सम्पत्ति के स्वामियों या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति पर विकास कार्य के निष्पादन के फलस्वरूप सम्पत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि के लिए, सुधार प्रभार लगा सकेगा :

परन्तु, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्वाधिकृत भूमि पर कोई सुधार प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(७) किसी विकास क्षेत्र में स्थित किसी संपत्ति के संबंध में सुधार प्रभार वह रकम होगा जो विकास-स्कीम का निष्पादन होने से पूर्व संपत्ति को भवन सहित मानकर प्राक्कलित मूल्य से विकास-स्कीम का निष्पादन पूरा हो जाने पर उसी रीति से प्राक्कलित संपत्ति के मूल्य जितना अधिक होता हो उसके एक-तिहाई के बराबर हो ।

(८) प्राधिकार, राज्य सरकार से प्राप्त होनेवाले अनुदान, अग्रिम या अर्थ-साहाय्य के अतिरिक्त, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य स्रोतों से भी उधार ले सकेगा ।

७ । वित्तीय शक्तियां ।—(१) प्राधिकार को अपनी निधि होगी जिसका वह अनुरक्षण करेगा और जिसमें निम्नलिखित रकमें जमा की जाएंगी :—

(क) प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार से अनुदान, कर्ज और अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त सभी धन ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकार द्वारा प्राप्त सारी फीस, लगान, प्रभार, उद्ग्रहण और जुर्माने ;

(ग) प्राधिकार द्वारा अपनी चल और अचल आस्तियों के निपटारे से प्राप्त सभी धन ;

(घ) प्राधिकार द्वारा वित्तीय और अन्य संस्थाओं से कर्ज के रूप में और प्राधिकार के राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी स्कीम या स्कीमों के निष्पादन के लिए, जारी किए गए ऋण-पत्रों (डिबेंचर) से प्राप्त सभी धन ।

(२) जबतक राज्य सरकार अन्यथा निदेश न दे, प्राधिकार द्वारा प्राप्त सभी धन इसकी निधि में जमा किए जायेंगे जो (निधि) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और या एक अथवा अधिक राष्ट्रीयकृत बैंक के पास रखी रहेगी और उसमें से निकासी, जब और जैसे प्राधिकार को अपेक्षित होगी, की जाएगी ।

८ । बजट ।—(१) प्राधिकार हरेक वर्ष आगामी अगले वित्त-वर्ष के लिए एक बजट पारित करेगा, जिसमें प्राधिकार के प्राक्कलित आमद-खर्च दिखाए रहेंगे, और उतनी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा जो नियमों द्वारा विहित हो और राज्य सरकार ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ समीचीन समझे जाए ।

(२) प्राधिकार समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और तुलना-पत्र सहित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(३) प्राधिकार का लेखा प्रतिवर्ष महालेखापाल, बिहार द्वारा संपरीक्षित होगा और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में इसके द्वारा किया गया कोई व्यय प्राधिकार द्वारा महालेखापाल, बिहार को देय होगा। महालेखापाल को प्राधिकार के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में वे सभी विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जिनका वह, सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में, हकदार है।

(४) महालेखापाल, बिहार या इसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकार का लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रतिवर्ष राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट के साथ अग्रसारित किया जाएगा।

अध्याय ४

प्रकीर्ण उपबन्ध

९। (१) राज्य सरकार प्राधिकार के प्रयोजनार्थ अपेक्षित किसी भूमि का अर्जन कर सकेगी जो प्रयोजन, भू-अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन लोक प्रयोजन समझा जायगा।

(२) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार, विकास या उपयोग के प्रयोजनार्थ, बिहार राज्य में निहित कोई विकसित या अविकसित भूमि प्राधिकार को सरकार द्वारा यथाविनिश्चित निबन्धनों और शर्तों पर पट्टा विलेख द्वारा अंतरित कर सकेगी।

(३) यदि उप-धारा (२) के अधीन प्राधिकार के जिम्मे इस प्रकार दी गई कोई भूमि किसी समय राज्य सरकार के लिए अपेक्षित हो तो प्राधिकार इसे राज्य सरकार को प्रत्यावर्त्तित कर देगा।

१०। प्राधिकार का हरेक निदेशक तथा हरेक पदाधिकारी और कर्मचारी भारतीय दंड-संहिता की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक-सेवक समझा जायगा।

११। फीस, लगान या प्रभार मद्धे, अथवा भूमि, मकान या अन्य चल और अचल सम्पत्ति के निपटारे से अथवा लगान और मुनाफे के रूप में प्राधिकार को देय कोई धन प्राधिकार द्वारा बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम (पब्लिक डिमांड्स रिकवरी ऐक्ट), १९१४ के अधीन भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकता है।

१२। शास्ति।—(१) कोई व्यक्ति जो संरचना या अधिक्रमण हटाने के संबंध में प्राधिकार द्वारा इस निमित्त बनाये गए किसी विनियम का उल्लंघन करके भूमि या भवन का उपयोग करे वह १०,००० रु० तक के जुर्माने से या छः महीने

तक की सादा कारावास से या दोनों से और अपराध जारी रहने की दशा में उल्लंघन के हर दिन के लिए १००`रु० तक के अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा।

-(२) इस अधिनियम के अधीन अभियोग के संबंध में वसूल किये गये सभी जुर्माने प्राधिकार को चुकाए जाएंगे।

(३) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी से अन्यून पंक्ति का कोई न्यायालय नहीं करेगा।

१३। यथापूर्वोक्त के सिवाय, इस अधिनियम और इसके अधीन बने नियमों और विनियमों के उपबन्ध, राज्य में प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होने पर भी, प्रभावी होंगे।

१४। राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और विशेषकर निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी :—

(क) प्राधिकार की भूमि पर हुए अधिक्रमण को हटाना।

(ख) अप्राधिकृत संरचनाओं को हटाना ;

(ग) ऐसे भवनों को गिराना, जिनसे योजना में बाधा पड़ती हो या जो प्राधिकार के विनियमों का उल्लंघन करते हुए खड़े किए गए हों ;

(घ) प्राधिकार के कर्त्तव्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों से संबंधित विषयों पर, प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्टों और विवरणियों का उपस्थापन। और

(ङ) राज्य सरकार द्वारा ऐसे निदेशों का जारी किया जाना, जिनमें इस अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यापक सिद्धांत अधिकथित हों।

१५। प्राधिकार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, शासकीय गजट में संकल्प प्रकाशित कर इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

१६। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसके द्वारा किये गये ऐसे कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो।

१७। जब राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि जिस प्रयोजन के निमित्त इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार की स्थापना हुई थी, वह पर्याप्त रूप से पूरा हो चुका है, जिससे प्राधिकार का बना रहना अनावश्यक हो चला है, तब, सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, घोषणा कर सकेगी कि प्राधिकार अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीख से विघटित हो जायगा; और तदनुसार प्राधिकार उक्त तारीख से विघटित समझा जायगा और प्राधिकार की संपत्तियां, निधि और उसके द्वारा वसूलनीय सभी पावने उसके दायित्वों के साथ राज्य सरकार पर न्यायगत हो जायेंगे।

१८। निरसन और व्यावृत्ति।—(१) बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वितीय अध्यादेश, १९७४ (बिहार अध्यादेश सं० ८०, १९७४) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कारंवाई इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायगी मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कारंवाई की गई थी।

कृष्णदेव प्रसाद,
सरकार के अपर-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित तथा अधीक्षक,
सरकारी लेखन-सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित।
बिहार गजट (असाधारण), ७५४—लाईनो—२११०—२११—ग०व०मा०

Draft of the Regulation of Bihar Industrial Area Development Authority, Patna U/S 15 of Bihar Industrial Area Development Authority Act, 1974.

CHAPTER - I

General

1. These Regulations may be called the Bihar Industrial Area Development Authority Regulations.

2. **Definition** : In this Regulations unless the context otherwise requires.

(a) The Act means the Bihar Industrial Area Development Authority Act.1974 (Act.16 of 1974).

(b) Rules means the Bihar Industrial Area Development Authority Rules 1981.

(c) Section means a Section of the Act.

(d) Authority means the Bihar Industrial Area Development Authority.

(e) Chairman means the Chairman of the Authority.

(f) Meeting means a meeting of the Authority.

(g) Member means a member constituting the Authority

(h) Managing Director means Managing Director of the Authority who will function as Chief Executive of the Authority.

CHAPTER - II

Conduct of Business of the Authority

3. The member of the Authority shall meet for transaction of its business from time to time and shall meet atleast once in every three Calander months.

4. The Chairman of the Authority can call a meeting whenever he thinks fit. A meeting may also be called on a written request by any member of the Authority.

5. The meeting of the Authority shall ordinarily be held in the office of the Authority, but the Chairman may direct the meeting to be held at any other place.

6. A notice in writing specifying the date, time and place of the meeting will be served on each member atleast a week before the date of the meeting provided that the meeting may be held on shorter notice to transact business of an urgent nature.

7. Three members entitled to vote at a meeting will constitute the quorum without which no business would be transacted at any such meeting.

8. The adjourned meeting may be held at such place,

...te and time as may be decided by the Chairman and no quorum will be necessary for an adjourned meeting.

9. The Chairman, or in his absence, any member elected by the member present at the meeting shall preside over the meeting.

10. Decision in the meeting of the Authority will be as far as possible taken on unanimity, but in case of difference of opinion among the members, decision shall be taken on the basis of majority of members. In the event of equality of votes, the Chairman will have a casting or second vote.

11. Minutes of the proceedings of all meeting shall be recorded in book to be kept for the purpose and shall be signed by the Chairman of the meeting, which shall later be put up for confirmation in the subsequent meeting.

12. The Authority may invite persons likely to render advice to the Authority with regard to business to be transacted by it provided that such special invitees or co-opted members shall not have the right to vote at the meeting.

13. The Authority may, from time to time, for the purposes of carrying out its duties and responsibilities under the Act appoint a Committee or Committees consisting of its own member or of others or jointly and refer to them such matters as the Authority may deem fit. Unless specially authorised by the Authority, the decisions of the Committee will have to be approved in a meeting of the Authority.

14. The powers and functions of such a Committee or Committees shall be such as may be determined by the Authority.

CHAPTER - III

Power and duties of Chairman and Managing Director.

15. The Chairman will be the Head of the Authority and

(a) The Chairman shall preside over the meetings of the Authority and guide its deliberations.

(b) will do all things necessary for the fulfilment of the objects for which the Authority was constituted.

(c) The Chairman shall guide and supervise the functioning of the Authority and in that capacity will issue such instructions to the Managing Director, the Chief Executive of the Authority as are necessary for the implementation of the decisions of the Authority.

(d) If the Chief Executive Office has to do any work in anticipation of the formal approval of the Authority, the Chairman can issue orders to this effect.

16. Subject to the general control of the Authority, the Managing Director shall

(a) Organise and supervise the office of the Authority, maintain discipline and exercise such other powers with regard to establishment matters like appointment, promotion, disciplinary action, leave to staff etc. as may be delegated to him by the Authority.

(b) Receive and expend, subject to budget provision, moneys on behalf of the Authority and maintain proper accounts, vouchers and receipts thereof.

(c) Perform such other duties as may be specified by Authority or Chairman from time to time.

CHAPTER - IV

Secretary

17. The Authority will appoint a person to act as Secretary of the Authority. His functions will include interalia

(1) Attending meetings of the Authority.

(2) Preparing and keeping agenda of meeting and minutes of proceedings.

(3) Complying with the directions of the Authority and ensure implementation of the decisions and instructions of the Authority, Chairman and Managing Director

(4) Sending of notices to members and others.

(5) Complying with the many obligation under the Act like maintenance of proper books and registers.

(6) Filling the necessary returns with the State Government and other statutory Authorities.

(7) Organising and controlling the office staff, field staff and others.

Secretary will function under the directions and instructions of the Managing Director issued from time to time.

CHAPTER - V

Accounts

18. All moneys received by the Authority by way of fees, fines charges, grants, loans etc. shall be credited to the Authority's fund and all expenditure incurred by the Authority shall be paid out of the said fund.

19. The Managing Director will operate the Fund of Authority and no money shall be paid from the funds of the Authority except on an order to pay signed by the Managing Director.

Provided that the Managing Director may delegate this power to any other officer of the Authority who may exercise

this power under the general guidance and supervision of the Managing Director and subject to such financial limits and restrictions which may be laid down by the Managing Director.

20. The Authority shall keep proper books of accounts with respect to :

(a) All sums of money received and expended by the Authority and the matters in respect of which the receipt and expenditure take place

(b) All sales of goods by the Authority and

(c) All assets and liabilities of the Authority.

21. The books of account shall be open to inspection by any member of the Authority during office hours.

22. The Managing Director shall within six months of the close of each financial year lay before the Authority audited statements of accounts for the financial year of the Authority and audited balance sheet made as of at the end of the financial year.

23. Every balance sheet and every annual statement of accounts shall be signed by the Managing Director and Chief Accounts Officer.

24. The audited Balance Sheet and the annual statement of account shall be approved by the Authority and after approval, a copy of the Balance sheet and the annual statement account shall be sent to the State Govt. together with a report of the Authority with respect to the affairs of the Authority.

CHAPTER - VI

Audit

25. Every Balance Sheet and Annual Statement of Account shall be audited by one or more auditors to be appointed by the Managing Director.

26. The Auditor shall make a Report to the Authority on the accounts examined by them and on every Balance sheet and annual statement of account and on every other document annexed to the Balance sheet or annual statement of account, which are laid before the Authority and the Report shall state whether, in his opinion and the best of his information and according to the explanations given to him thesaid accounts give the information required by this act in the manner so required and give a true and fair view :-

i) in the case of Balance sheet, of the state of the Authority's affair as at the end of its financial year and

ii) in the case of the annual statement of account for its financial year.

27. The Auditor's Report shall also state :

(a) Whether he has obtained all the informations and explanations which to the best of his knowledge and behalf were necessary for the purpose of his audit.

(b) Whether in his opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Authority ~~so far as required by law have been kept by the Authority~~ so far as appears from examination of those books and proper returns adequate for the purposes of his audit have been received from branches not visited by him.

(c) Whether the Authority's Balance sheet and annual statement of account dealt with by the Report are in agreement with the books of Account and returns.

CHAPTER - VII

ESTABLISHMENT

28. Subject to the appropriate provisions in the budget and also such prior approval of the State Government as required under the rules the Authority may create or abolish and make appointment to such posts which it considers necessary for the proper performance of its duties and functions.

29. The Authority or the Managing Director as the case may be exercise disciplinary control over its employees provided that in case of employees whose services have been obtained inlien or on deputation from the State Government or the Central Government the case shall be submitted to the State Government.

CHAPTER - VIII

CIVIL WORKS

30. In carrying out any Engineering or other works in the discharge of its functions, the Authority will be guided as far as practicable by the provisions contained in the P.W.D. code as applicable to the State Government until such time as specific guide lines are framed by the Authority itself.

CHAPTER - IX

CONSTITUTION OF STANDING COMMITTEE

31. The Authority may with the approval of the State Government constitute a standing Committee of not more than 21 persons composed of one or more members of the Authority, Officers of the State Govt.representatives of the employees, and such other persons as may help in fulfilling the tasks entrusted to the Standing Committee.

32. The functions of the Standing Committee will be the followings :-

(a) To draw up plans for development of Industries and to establish contacts with major Industries for farming out orders to ancillary units.

(b) To prepare a list of Industries which would be encouraged in order of priority to be developed in the Industrial Area.

(c) To consider the problems related to the essential relationship between the parent and ancillaries industries viz. termsof sub.constraction method of pricing, made of payment, quality control, common facilities

and technical guidance and such other problems and to recommend suitable remedial measures.

(d) To assess requirement of parts, components etc. required by large industries and to endeavour for the establishment of such units in the area and draw a list of priorities in the establishment of such industries.

(e) To review the progress of development work in the Industrial Areas.

(f) To screen applications received by the Local officers I/c of Industrial Areas for allotment of factory space and loans and make recommendations to Government.

(g) To process applications for approval and registration.

(h) To lay down polices regarding pricing, and price preference establishment of common facility services.

33. The Authority may from time to time entrust such other function to the Standing Committees as the Authority may deem fit.

****
****

Ravy
13.10.03
C.A.O.
DBG

13.10.03
CAO
Bahia

13.10.03